संजय शर्मा
विधायक
120, तेंदूखेड़ा
विधान सभा मध्यप्रदेश

प्रश्न सं. [...

(प्रश्न-क) परिशिष्ट अ
[12/7/2019]
निवास :
143, रिवेयरा टाउन, भोपाल (म.प्र.)
ग्राम देवरी, राजमार्ग, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)
फोन : 07793-276755 (कार्या.)
मोबाइल : 9425168955
ई-मेल : tendukhedamla@gmail.com

तारांकित - 1204

क्रमाँक एम/003 दिनाँक 29/12/2018

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

नरसिंहपुर

विषयः-	अशासकीय शाला की जाँच करने बावत्।

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा क्षेत्र-तेंदूखेड़ा के विकास खण्ड-चावरपाठा के अंतर्गत आदर्श ज्ञानज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल, ग्राम पंचायत लोलरी में संचालित है।

उपरोक्त अशासकीय शाला का संचालन आर.टी.ई. के माप दण्डों के अनुरूप नहीं हो रहा है। शाला के कक्षों में निर्धारित सीमा से अधिक छात्रों को बिठाया जाता है। छात्रों के लिए खेल मैदान नहीं है। अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। बसों द्वारा शाला आने वाले छात्रों को बस की क्षमता से अधिक एवं असुरक्षित तरीके से शाला लाया जाता है एवं अभिवावकों से मनमानी शुल्क बसूल की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि तत्काल आदर्श ज्ञानज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल-लोलरी की उपरोक्त बिंदुओं अनुसार जाँच कर, कमियाँ पाए जाने पर शाला की मान्यता रद्द करने हेतू आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुझे अवगत कराने का कष्ट करें।

मान्यता
31/12/18
31.12.18

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

संजय शर्मा 29/12/18
संजय शर्मा
(विधायक)

01
01-01-2019

तारांकित-1204 परिशिष्ट-ब

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर

नरसिंहपुर दिनांक 03.01

क्रमांक / 22 / मान्यता / 2019 /

प्रति,

1. विकासखंड शिक्षा अधिकारी,
चांदरपाठा जिला नरसिंहपुर

2. विकासखंड स्त्रोत समन्वयक
जनपद शिक्षा केन्द्र चांदरपाठा

विषय :- अशासकीय शाला की जॉच बाबत्।

संदर्भ :- माननीय संजय शर्मा विधायक 120 तेन्दुखेडा विधान सभा म0प्र0 का पत्र क्रमांक एम/003/ दि0 दि. 28.12.2018।

उपरोक्तानुसार संदर्भित पत्र के द्वारा अशासकीय आदर्श ज्ञान ज्योति हायर सेकेण्डरी स्कूल लोलरी के संबंध प्राप्त हुआ है जिसकी छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित की जा रही है। जिस पर आप दोनो संयुक्त रूप से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन एक सप्ताह में इस कार्यालय को अवगत करावें।

जॉच के बिन्दु

1. शाला का संचालन आर.टी.ई.के मापदण्डों के अनुरूप हो रहा है या नहीं ।
2. शाला के कक्षों में निर्धारित सीमा से अधिक छात्रों को बैठाया जा रहा है या नहीं।
3. छात्रो के लिए खेल का मैदान है या नहीं।
4. संस्था में कार्यरत शिक्षको की योग्यता एवं प्रशिक्षण योग्यता क्या है।
5. शाला में आने वाले छात्रों को बस की क्षमता से अधिक एवं असुरक्षित तरीके से शाला लाया जाता है या नही
6. अभिवावकों से मनमानी शुल्क बसूली के संबंध में विगत तीन बर्ष की जॉच करें।
7. अन्य बिन्दु आपकी जानकारी से आवश्यक हो तो उसे भी जॉच में लिया जावें।

संलग्न पत्र की छायाप्रति

जिला शिक्षा अधिकारी
नरसिंहपुर

नरसिंहपुर दिनांक 03.01.2018

क्रमांक / 23 / मान्यता / 2019 /

प्रतिलिपि

1. निज सचिव, माननीय संजय शर्मा विधायक 120 तेंदुखेडा विधान सभा मध्यप्रदेश(ग्राम देदरी,राजमार्ग जिला नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
नरसिंहपुर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग